समक्ष माननीय सदस्य म0 प्र0 राजस्व मण्डल सर्किट कैम्प भोपाल

प्रकरण क्र.निगरानी – /पीबीआर/2017 रायसेन

श्रीमती शान्तिबाई पत्नी स्व. श्री नारायणसिहं
निवासी वार्ड क0–18 रायसेन तहसील एवं
जिला रायसेन म0प्र0

.....आवेदक

विरूद्व

राजस्व निरीक्षक महोदय
तहसील रायसेन जिला रायसेन म0प्र0
जमील अली आ0 मकबूल अली
निवासी तिपट्टा बाजार रायसेन तहसील एवं
जिला रायसेन म0प्र0

.....अनावेदक

अभिभावक श्री.......... द्वारा आज दिनांक.......... को पेश। अधीक्षक

म.प्र. भू राजस्व संहिता की धारा 50 के अन्तर्गत निगरानी

माननीय महोदय,

आवेदक विद्वान राजस्व निरीक्षक महोदय तहसील रायसेन जिला रायसेन म0प्र0 द्वारा उनके प्रकरण क्र. 34/अ–12/16–17 में किये गये विवादित सीमांकन में पारित आदेश दिनांक 29/06/17 से असन्तुष्ट एवं दु:खी होकर यह निगरानी माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर रही है ।

:: प्रकरण के तथ्य ::

संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि कस्बा रायसेन तहसील एवं जिला रायसेन स्थित खसरा क0 717/1/1/2 रकवा 0242 हेक्टयर भूमि राजस्व रिकार्ड में अनावेदक क0 2 के नाम दर्ज है । अनावेदक क0 2 कि भूमि लगी हुई आवेदक एवं अन्य व्यक्तियो की भूमि है । अनावेदक क0 2 ने अनावेदक क0 1 के समक्ष उक्त भूमि के सबन्ध में सीमांकन किये जाने बावत् आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया। अनावेदक क0 1 ने अनावेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र के आधार पर प्र.क्र. 34/अ–12/16–17 पंजीबद्ध कर हल्का पटवारी को अनावेदक की भूमि का सीमांकन करने के आदेश दिये । अनावेदक क0 1 द्वारा दिये गये निर्देश पालन में राजस्व निरीक्षक/हल्का पटवारी द्वारा आवेदक व अन्य मेढ़ पड़ोसी को नियमानुसार सूचना पत्र जारी किए बिना ही अवैधानिक तरीके से अनावेदक क0 1 से सांठगांठ कर सीमांकन कि कार्यवाही करते हुए आवेदक का अन्य रास्ते की भूमि पर कब्जा होने का उल्लेख किया गया । उक्त विवादित सीमांकन की जानकारी आवेदक को उस समय हुई जब वह दिनांक 14/11/17 को तहसील न्यायालय के समक्ष विचाराधीन प्रकरण क0 01/अ–13/17–18 में उपस्थित हुआ । जानकारी प्राप्त होने पर आवेदक द्वारा अपने अभिभाषक के माध्यम से विवादित सीमांकन से सबधिंत दस्तावेजो की प्रमाणित प्रतियां प्राप्त कर यह निगरानी माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जा रही है।

:: निगरानी के आधार ::

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक PBR/निगरानी/रायसेन/भू-रा./2018/0402 जिला - रायसेन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
27-8-2019	प्रकरण आज प्रस्तुत । प्रकरण का अवलोकन किया गया । यह निगरानी राजस्व निरीक्षक, रायसेन तहसील व जिला रायसेन द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.06.2017 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है । मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम 2018 जो 27 जुलाई 2018 को मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित हुआ है, तथा दिनांक 25.09.2018 से लागू हुआ है। संशोधित अधिनियम की धारा 54 के अनुसार संशोधित अधिनियम 2018 के प्रवृत्त होने के ठीक पूर्व लंबित पुनरीक्षण के संबंध में धारा 54(क) के अनुसार "यदि वे किसी आवेदक के आवेदन पर शुरू की गई हो, मण्डल या उपरोक्त संशोधन अधिनियम द्वारा यथा संशोधित अधिनियम की धारा 50 की उपधारा 1 के अधीन उन्हें सुने जाने हेतु विनिश्चत किये जाने के लिए सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी और यदि इस प्रयोजन के लिए अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी। "चूंकि आवेदक द्वारा यह निगरानी राजस्व निरीक्षक, रायसेन तहसील व जिला रायसेन न्यायालय के आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। अत: संशोधित अधिनियम की धारा 54(ए) के अंतर्गत प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर, रायसेन को भेजा जाता है। कलेक्टर, रायसेन प्रकरण पंजीबद्ध कर म0प्र0 भू0रा0 सं0 की धारा 50 (1)(सी) के अंतर्गत पक्षकारों की सुनवाई कर यथोचित आदेश पारित करें । उभय पक्षकार दिनांक 14-10-2019 को कलेक्टर के समक्ष उपस्थित हों । अध्यक्ष	